राजस्थान सरकार

पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2021–22 का प्रशासनिक प्रतिवेदन

पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर–302005
दूरभाष 2740678, 2741687, 2740694 एवं 2740538
E-mail:- dir-pen-rj@nic.in
Website: **www.pension.raj.nic.in**

प्रस्तावना

राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जहाँ सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु पृथक से पेंशन विभाग की स्थापना की गई । पहले यह कार्य महालेखाकार, राजस्थान द्वारा किया जाता था, किन्तु सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.14(23)वित्त/ग्रुप–।।।/76 दिनांक 17.09.1979 द्वारा इस विभाग की स्थापना दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 को की गई थी। इस प्रकार दिसम्बर, 1979 से निरन्तर, राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, पेंशन विभाग द्वारा ही निस्तारित किये जा रहे हैं। विभाग का विकेन्द्रीकरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्व रूप से वर्ष 1993 से 1996 के मध्य जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर क्षेत्रीय कार्यालयों की तथा वर्ष 2014–15 में भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गयी।

विभाग के द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियॉ जारी करने, स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने, पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं, भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ एवम् भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों के एवम् नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं ।

पेंशनर्स के कल्याण एवं उनके समस्त प्रकार के पेंशन दावों का समय पर निष्पादन करने हेतु पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग कृत संकल्प एवम् सतत् प्रयासरत है।

निदेशक

संगठनात्मक ढाँचा

विभाग का निदेशालय, ज्योति नगर, जयपुर में राजकीय भवन में स्थित है । विभाग का विकेन्द्रीकरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्व रूप से वर्ष 1993–94 में जोधपुर एवं उदयपुर, वर्ष 1994–95 में कोटा एवं बीकानेर, वर्ष 1995–96 में अजमेर तथा वर्ष 2014–15 में भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई । क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत अधिकारियों, राजस्थान न्यायिक सेवा एवं राज्य सेवा के विभागाध्यक्षों को छोड़कर शेष सभी पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है ।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा पृष्ठ संख्या 3 पर दर्शाया गया है तथा विभाग में स्वीकृत विभिन्न पदों का विवरण पृष्ठ संख्या 17 पर दर्शाया गया है ।

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर का संगठनात्मक ढाँचा

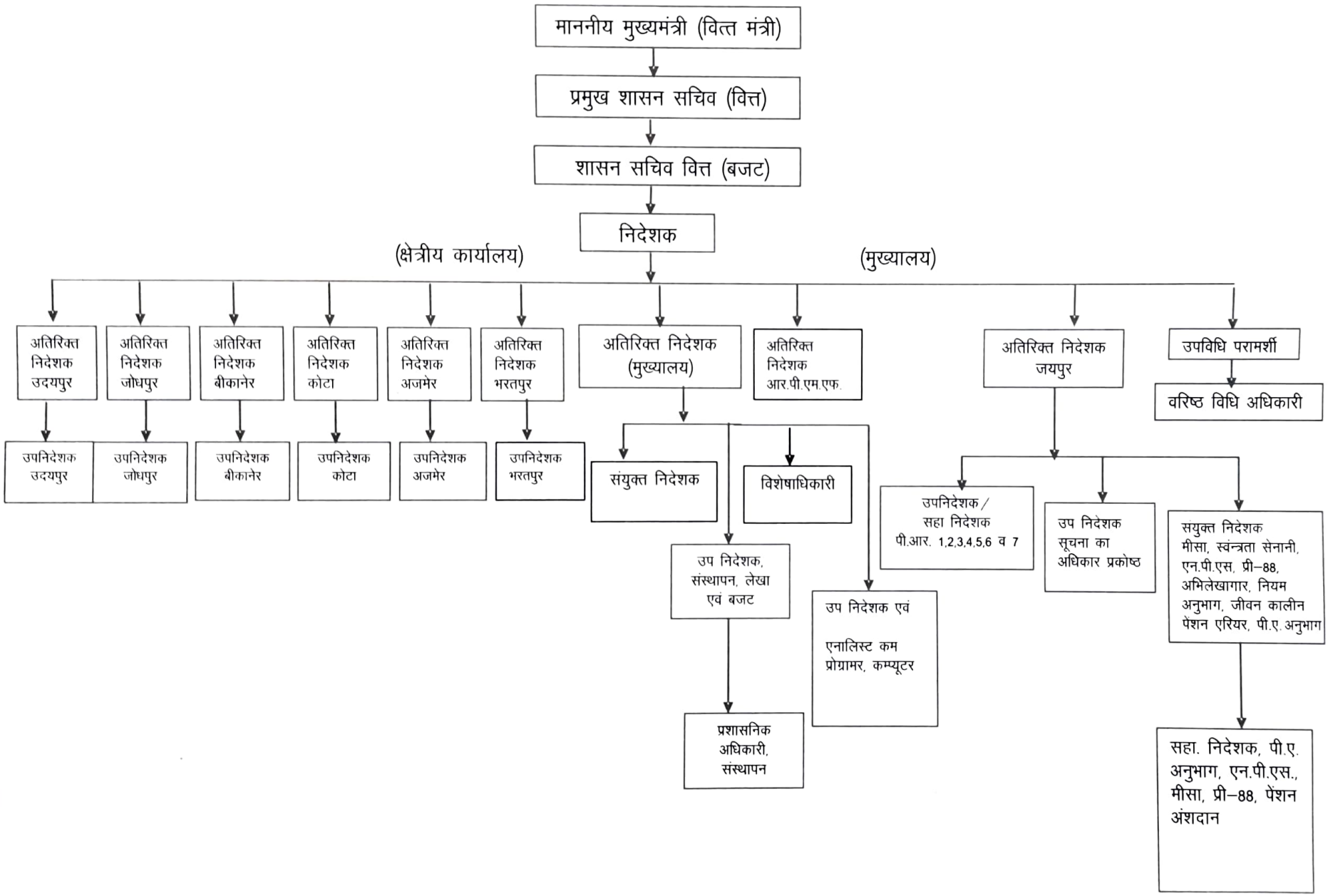

1. विभागीय कार्यकलाप

विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नांकित कार्य निष्पादित किये जाते हैं :–

1. राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियाँ जारी करना ।
2. राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों संबंधी अधिकृतियाँ जारी करना ।
3. स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने संबंधी कार्य ।
4. पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं के लिए पेंशन संबंधी कार्य ।
5. भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ से संबंधित पेंशन के मामले।
6. भूतपूर्व रियासतों के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण ।
7. भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों के पेंशन संबंधी कार्य ।
8. राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पेंशन संबंधी कार्य ।
9. नगरपालिका / परिषदों, नगर निगम, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी मामले ।
10. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान राशि अधिकृत करना ।
11. जीवनकालीन बकाया / पेंशन बकाया के भुगतान की स्वीकृति जारी करना ।
12. उपादान के कालातीत मामलों को पुनर्वेध करना ।
13. पेंशन अंशदान वसूली एवं सेवा सत्यापन का कार्य ।
14. आर.पी.एम.एफ. स्कीम के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना ।

2. <u>बजट वर्ष 2021–22 :–</u>

वर्ष 2021–22 के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान तथा व्यय निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क.सं.	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान	दिसम्बर 2021 तक व्यय
1.	2054– खजाना तथा लेखा प्रशासन 800– अन्य व्यय (02)– निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण (आ.भिन्न) दत्तमत्त	2637.74	1682.58 (अन्तरिम)
2.	2071– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ 01 – सिविल 101,102,104,105,106,110(01),115,200,800 (01)(आ.भिन्न) दत्तमत्त एवं प्रभृत्त	2296200.00	1687889.28 (अन्तरिम)
3.	2075– विविध सामान्य सेवाऐं 104 – विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार (05) – विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं के लिए पेंशन (आ.भिन्न) दत्तमत्त	5.50	1.69 (अंतरिम)
4.	2049–ब्याज अदायगियाँ 60–अन्य दायित्वों पर जमा 101–जमा राशियों पर ब्याज 18–राज. पेंशनर्स चिकित्सा निधि के निक्षेपों पर ब्याज (23)–ब्याज एवं लाभांश दत्तमत्त	–	–
5.	2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 – अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102 – समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन (02) – निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के माध्यम से (01) – राज्य सरकार के पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा योजनान्तर्गत अनुदान (राज्य निधि) 12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	136.16	111.73
6.	2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 – अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102 – समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन (02) – निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के माध्यम से (02) – राज्य सरकार के पेंशनर्स को अन्तरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान मेडिकल फण्ड को सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि) 12 – सहायतार्थ अनुदान/गैर संवेतन	–	–

7.	6235– सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिये कर्ज 02 – समाज कल्याण 800 – अन्य कर्ज (04) – पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना (01)– राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार (राज्य निधि)	15000.00	10000.00

बजट मद 2071– पेंशन तथा सेवानिवृत्त हितलाभ से संबंधित गत 6 वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकडे निम्नानुसार हैं :–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक व्यय (राशि लाखों रू. में)
2015–16	1033177
2016–17	1158065
2017–18	1281894
2018–19	1857350
2019–20	1877485
2020–21	2020946
2021–22(अन्तरिम व्यय दिसम्बर 2021 तक)	1687889.28

3. **कोषवार** पेंशनर्स की संख्या निम्न प्रकार है :–

निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा दिनांक 31.12.2021 को पेंशनर्स की कोषवार उपलब्ध कराई गई संख्या निम्न प्रकार है:–

क.सं.	कोषालय का नाम	पेंशनरों की संख्या	क.सं.	कोषालय का नाम	पेंशनरों की संख्या
1.	अजमेर	21076	20.	जैसलमेर	4422
2.	अलवर	23817	21	जालौर	4726
3.	बांसवाडा	11462	22.	झालावाड	7655
4.	बांरा	6053	23.	झुन्झुनू	14775
5.	बाडमेर	7955	24.	जोधपुर (ग्रामीण)	29924
6.	ब्यावर	5075	25.	करौली	7541
7.	भरतपुर	20239	26.	कोटा	20376
8.	भीलवाडा	15522	27.	नागौर	14162
9.	बीकानेर	20921	28.	पाली	12251
10.	बूंदी	7223	29.	प्रतापगढ	2866
11.	चित्तौडगढ	10355	30.	राजसमन्द	7056
12.	चूरू	11252	31.	सवाईमाधोपुर	7915
13.	दौसा	8390	32.	सीकर	16884
14.	धौलपुर	5879	33.	सिरोही	5642
15.	डूंगरपुर	8457	34.	टोंक	8907
16.	श्रीगंगानगर	12478	35.	उदयपुर (ग्रामीण)	25557
17.	हनुमानगढ.	8869		महायोग	**465463**
18.	जयपुर (पेंशन)	69781			
19.	जयपुर (ग्रामीण)	–			

4. **पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु किये गये प्रयास :–**

पेंशन विभाग द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु सघन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गयी हैं । विभाग द्वारा सभी विभागों को समय–समय पर परिपत्र जारी कर कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर, संभागीय स्तर पर एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों की पृथक से पंजिका संघारित कर पर्यवेक्षण किये जाने की सुदृढ व्यवस्था कराई गई है ।

राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय पेंशन प्रकरण निस्तारण समितियॉ संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की हुई हैं, जिसमें जिले का कोषाधिकारी सदस्य सचिव हैं तथा

जिला स्तर के विभागीय अधिकारी एवं पेंशन विभाग के प्रतिनिधी सदस्य हैं । इस समिति की प्रति तिमाही बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । वर्ष 2021–22 में जिला स्तरीय समितियों की उक्त बैठकें आयोजित कराने की निरन्तर मॉनिटरिंग की गयी, जिनमें पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा के साथ–साथ जटिल प्रकरणों में मार्गदर्शन दिया गया है ।

5. **पेंशन प्रकरणों का निस्तारण** :– चालू वित्तीय वर्ष 01.04.2021 से 31.12.2021 तक कुल 19398 नवीन पेंशन प्रकरण एवं 1861 संशोधित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, जिनकी संभागवार संख्या निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	नाम संभाग	नवीन पेंशन प्रकरण	संशोधित पेंशन प्रकरण
1.	अजमेर	2508	277
2.	बीकानेर	2281	220
3.	जयपुर	5199	401
4.	जोधपुर	2748	303
5.	कोटा	1792	228
6.	उदयपुर	3025	260
7.	भरतपुर	1845	172
	योग	**19398**	**1861**

प्री–2016 पेंशन रिवीजनः– राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिनांक 06.06.2018 व 05.10.2018 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पूर्व (प्री–2016) सेवानिवृत पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन को सातवें वेतनमान के अनुसार पे–मेट्रिक्स के अनुरूप संशोधन करने के निर्देश जारी किये गये है। प्री–2016 के पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन का यह कार्य दिनांक 01.01.1991 से 31.12.2015 तक सेवानिवृत पेंशनर्स के लिए कोषालय स्तर पर एवं 01.01.1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स के संशोधन, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2021 तक कोषालय स्तर पर प्राप्त 277906 आवेदनों में से 258875 का निस्तारण किया गया है जो 93.15 प्रतिशत है।

6. पिछले 5 वर्षों में निर्णित पेंशन प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	निर्णित पेंशन प्रकरणों की संख्या
2016–17	25265
2017–18	21725
2018–19	25654
2019–20	25952
2020–21	26370
2021–22 (31 दिसम्बर 2021 तक)	19398

7. **विशेष प्रयास :–**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित आन लाईन शिकायत निवारण प्रक्रिया के अन्तर्गत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से जनवरी, 2021 से दिसम्बर 2021 तक पेंशन संबंधी कुल 1470 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 1116 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 7 से 15 दिनों में किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों यथा मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग आदि के माध्यम से तथा सीधे पेंशनरों से प्राप्त परिवेदनाओं का भी निस्तारण किया गया है।

8. **ई–पेंशन**

राज्य सरकार पेंशनर्स व राज्य के कार्मिकों को इलेक्ट्रोनिक सुविधायें प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इसी कडी में सेवानिवृति के समय कार्मिक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्रों को एनआईसी द्वारा विकसित मॉडयूल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने का कार्य किया गया है। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 27.10.2020 को किया गया। इससे कार्मिक सुगमता से पेंशन प्रपत्र कम्प्यूटर पर तैयार कर कार्यालध्याध्यक्ष को व कार्यालयाध्यक्ष, पेंशन विभाग को ऑनलाइन प्रेषित कर सकेंगें।

ई–पेंशन मॉडयूल को पॉयलट आधार पर कार्मिक विभाग तथा वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन विभागों यथा वाणिज्य कर विभाग, आबकारी विभाग, पेंशन विभाग, निरीक्षण विभाग, निदेशक, कोष एवं लेखा एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में लागू किया गया है।

9 पेंशन विभाग में कम्प्यूटर द्वारा कार्य निष्पादन व प्रगति :–

1. राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत होने वाले कार्मिको के पेंशन प्रकरण को वर्ष 1990–91 से कम्प्यूटरीकृत अधिकृतियॉ जारी करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। वर्ष 2013–14 से सम्पूर्ण मूल अधिकृतियों एवं रिवाईज्ड अधिकृतियों का निस्तारण का कार्य NIC द्वारा IFMS प्रोजेक्ट के तहत बने Integrated Financal Pension Managment System पोर्टल द्वारा मुख्यालय एवं इसके समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों– अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में प्रारम्भ कर दिया गया था। IFPMS पोर्टल पर निदेशक, पेंशन एवं उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (DDG & SIO) NIC, जयपुर के निर्देशानुसार विभाग की आवश्यकतानुसार निरन्तर परिष्कृत किया जा रहा है। IFPMS पोर्टल द्वारा पेंशन एप्लीकेशन की निस्तारण/आक्षेपों एवं पेंशन अधिकृतियों के Dispatch की सूचना पेंशनर को SMS द्वारा प्रेषित की जा रही है।

2. भविष्य में रिटायर्ड होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को SMS द्वारा अपने पेंशन प्रकरणो के निस्तारण करने हेतु इन्हें शीघ्र पेंशन विभाग में भिजवाने हेतु सूचित किया गया।

3. सिविल पेंशनर्स को IFPMS पोर्टल द्वारा निम्न ऑनलाईन सुविधाएं प्रदान कर दी गई है:–

   अ:– निकटतम ई–मित्र कियोस्क, पेंशन विभाग मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से दिनांक 01.11.2020 से ऑनलाईन जीवन प्रमाण अधिकृत पेंशनर्स बैंको को ऑनलाईन प्रेषित करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी।

   ब:– आर.पी.एम.एफ. योजना की अवधि तक कम्प्युटरीकृत मेडिकल डॉयरी धारक को IFPMS पोर्टल एवं ई–मित्र कियोस्क से निम्न ऑनलाईन सुविधाए प्रदान की गई थी:–

      क:– मेडिकल डायरी के Renewal/डुप्लीकेट डायरी प्रिंट करने का आवेदन

      ख:– उपभोक्ता संघ द्वारा सीमा वृद्वि आवेदन के माध्यम से बिना भुगतान के दवाई प्राप्त करने हेतु सीमा वृद्वि अनुमोदन डाउनलोड करना।

      ग:– इनडोर/आउटडोर मेडिकल बिलो के प्रोसेसिंग एवं ऑनलाईन भुगतान हेतु आवेदन करना।

      घ:– कोषालय द्वारा पेंशनर्स को जारी कम्प्यूटरीकृत डॉयरी स्टेटस, सीमा वृद्वि एवं इनडोर/आउटडोर मेडिकल बिलों के भुगतान संबंधित विवरण ऑनलाईन देखना।

4. एप्लीकेशन प्रोग्राम इन्टरफेस (API) के माध्यम से IFPMS पोर्टल सेवाओं में निम्न विस्तार किया गया है :–

   अ:– IFPMS पोर्टल (https://pension.raj.nic.in) एवं बजट पोर्टल (https://ifms.raj.nic.in) को ऑनलाईन लिंक करके सेवानिवृत कर्मचारियों को Leave Encashment हेतु बजट आंवटन मुख्यालय एवं इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

बः— IFPMS पोर्टल एवं पे–मैनेजर पोर्टल (https://paymanager.nic.in) को ऑनलाईन लिंक करके पेंशनर्स डेटा का Employee Code के आधार पर उपभोग करके मूल पेंशन अधिकृतियों को शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है।

सः— पे– मैनेजर पोर्टल द्वारा Leave Encashment बिलों के प्रोसेसिंग हेतु पेंशन अधिकृत नंबर पर आवंटित बजट के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जा रहा है।

दः— एम्पलाई / रिटायर्ड एम्पलाई द्वारा ई–पेंशन एप्लीकेशन द्वारा हैड ऑफ ऑफिस(HOO) को ऑनलाईन पेंशन आवेदन करने हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण कर पेंशन प्रकरण का निस्तारण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। उक्त ई–पेंशन सेवा में पे–मैनेजर से ईम्पलाई आईडी के आधार पर डेटा का उपयोग किया जा रहा है।

यः— पेंशनर का डाटा API द्वारा RGHS Card बनवाने हेतु उपयोग किया जा रहा है। पेंशनर की A/c detail, SI and GPF department को Gratuity and Commutation का हिस्सा जमा करवाने हेतु API द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। Pensioners details जन सूचना पोर्टल पर API द्वारा प्रदान की गई है।

5. मुख्यालय जयपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा EPPO के अन्तर्गत अपलोडेड वर्णानात्मक नामावली से एवं कोषालय पर लिगेसी पेंशनर्स डेटा से पहचान पत्र बनाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। आदिनांक तक कुल 2,26,409 पेंशनर्स को पहचान पत्र बनाकर वितरित किया जा चुका है।

6. विभाग ने 01.05.2018 से 31 दिसम्बर 2021 तक 76298 पेंशनर को Digital Sign हस्ताक्षर से अधिकृतियॉ जारी की गई है।

7. IFPMS पोर्टल द्वारा प्री–2016 की रिवाईज्ड अधिकृतियॉ भी जारी की जा रही हैं।

8. एनपीएस, पेंशनर्स एवं अन्य राज्यों से पेंशन लेने वाले सिविल पेंशन अधिकृतियों के निस्तारण की सुविधा IFPMS पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, जयपुर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय पेंशन कार्यालयों (अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर उदयपुर एवं कोटा) में भी प्रदान कर दी गई है।

9. IFPMS पोर्टल द्वारा जनित दैनिक एवं मासिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण रिपोर्ट के माध्यम से पेंशन प्रकरण प्राप्ति से लेकर उनके निस्तारण तक की समस्त प्रकिया को विभिन्न चरणो से निगरानी रखी जा रही है। लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 में निहित प्रावधानानुसार प्राप्त पेंशन प्रकरणों को 30 कार्य दिवस एवं पारिवारिक पेंशन प्रकरणों को 15 कार्यदिवस में निस्तारण का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पेंशन अधिकृतियों की प्राप्ति, आक्षेपो एवं अनुमोदित अधिकृतियों की जानकारी SMS के माध्यम से पेंशनर्स के मोबाईल नंबर पर भिजवाई जा रही है।

10. विधानसभा सत्र में सिविल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशनर्स से संबंधित सूचनाओं को IFPMS द्वारा त्वरित गति से उपलब्ध करवाया गया।

11. IFPMS पोर्टल द्वारा कोषालय पर निम्न सुविधाएं प्रदान कर दी गई है:—

कः— लिगेसी पेंशनर्स डेटा का मासिक संधारण एवं वेरिफिकेशन कार्य किया जा रहा है।

खः— मासिक पेंशनर्स डेटा का बैंक के पेंशन ई–स्कोल का मिलान करना एवं राजकोष पोर्टल (https:/rajkosh.raj.nic.in) द्वारा बिल बनाना।

गः— नये पेंशनर्स की अधिकृतियों के बिल ऑनलाईन पेमेंट हेतु प्रोसेस किया जा रहा है।

घः— पेंशन एरियर की गणना करके ऑनलाईन पेमेंट किया गया।

ङः— पेंशनर्स को कम्प्यूटरीकृत मेडिकल डायरी जारी करने का कार्य किया गया है। दिनांक 31.12.2021 तक कुल 3,69,958 पेंशनर्स को मेडिकल डायरी वितरण किया जा चुका है।

चः— पेंशनर्स के मेडिकल डायरी में सीमा वृद्वि आवेदन को प्रोसेसिंग एवं अनुमोदन हेतु सुविधा प्रदान की गई।

छः— राज्य में एवं राज्य के बाहर सिविल पेंशनर्स को रू 300/प्रतिमाह मेडिकल भत्ता ऑनलाईन भेजने की सुविधा प्रदान की गई।

जः— नये पेंशनर्स के प्रथम भुगतान के समय पेंशनर्स की डिजिटल हस्ताक्षरित मूल अधिकृति, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन अधिकृतियों को पे—मैनेजर पोर्टल द्वारा ऑनलाईन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पेंशन विभाग की static वेबसाइट http://rajpension.nic.in दिनांक 01.10.2021 से http://pension.raj.nic.in पर shift किया जा चुका है एवं URL rajpension.nic.in surrender कर दिया गया है।

12. माह दिसम्बर 2021 से सभी पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान बैंको के माध्यम से न करके RBI के E-Kuber system के माध्यम से भुगतान शुरू किया गया है।

13. पेंशन विभाग जयपुर का ई—मेल पता : dir-pen-rj@nic.in

Jodhpur-	jdpen-jod-rj@nic.in
Ajmer-	jdpensionajmer@yahoo.co.in
Udaipur-	jdpensionudaipur123@gmail.com/ jdpension.udaipur@rajasthan.gov.in
Bikaner-	jdpenbik@gmail.com
Kota-	jdpension@hotmail.com/ jdpension.kota@rajasthan.gov.in
Bharatpur-	jdpensionbharatpur@gmail.com

10. न्यायालय संबंधी मामले

राज्य सरकार के पेंशनर्स द्वारा पेंशन से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न न्यायालयों में याचिका/वाद दायर किये जाते हैं, जिनमें संबंधित विभागों को मुख्य पक्षकार बनाते हुए पेंशन विभाग को भी औपचारिक पक्षकार बनाया जाता है। इन मामलों में मुख्य पक्षकार पेंशन स्वीकृतकर्त्ता विभाग ही होता है। अतः संबंधित विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर इस विभाग की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर सभी पक्षकारों की ओर से न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जाता है । कुछ मामलों में, जिनमें पेंशन विभाग मुख्य पक्षकार होता है, उनमें कार्यवाही पेंशन विभाग के स्तर से प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करवाकर आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है ।

वर्तमान में ऐसे प्रकरण जिनमे पेंशन विभाग मुख्य पक्षकार है ऐसे प्रकरणों की विभिन्न न्यायालयों में संख्या कार्यालय रिकॉर्ड एवं लाईट्स पोर्टल के आधार पर निम्नानुसार हैः—

उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	अपील अधिकरण	अधीनस्थ न्यायालय	उपभोक्ता मंच
03	131	19	12	03

उपरोक्त में से दो अवमानना प्रकरण उच्च न्यायालय, जयपुर में तथा दो अवमानना प्रकरण राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में लम्बित है।

इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशन विभाग अनौपचारिक पक्षकार विभाग है ऐसे प्रकरणों की न्यायालयों संख्या कार्यालय रिकॉर्ड के आधार निम्नानुसार है:–

उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	अपील अधिकरण	अधीनस्थ न्यायालय	उपभोक्ता मंच
50	1780	430	230	40

उपरोक्त में से 45 अवमानना प्रकरण उच्च न्यायालय में लम्बित है तथा 42 प्रकरण राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण में लम्बित हैं।

11. <u>अंशदान वसूली की कार्यवाही</u>

<u>(अंशदान वसूली विवरण वर्ष 2021–22 –मद 0071–01–101–02–00)</u>

विभिन्न स्वायत्तशाषी संस्थाओं/विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन अंशदान/अवकाश वेतन अंशदान वसूली का कार्य राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(20)वित्त/राले–I/88 दिनांक 31.3.1989 के द्वारा दिनांक 01.04.1989 से पेंशन विभाग द्वारा ही सम्पादित किया जा रहा है।

पेंशन अंशदान वसूली से प्राप्त आय/होने वाली संभावित आय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रूपयों में)

वास्तविक आय वर्ष 2021–22	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021–22	वास्तविक आय अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक
25.40(लगभग)	45.00	25.40

तालिका में दर्शायी गयी राशि निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग से संबंधित पेंशन अंशदान के सम्भावित राशि का विवरण है। इस बजट शीर्ष में पेंशन विभाग द्वारा जमा राशि एवं विभिन्न कोषाधिकारियों के माध्यम से ई–ग्रास चालानों द्वारा अंशदान राशि स्वीकार की जाती है।

12. <u>स्वतंत्रता सैनानियों/स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों को पेंशन</u>

राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन तथा इनकी मृत्यु के पश्चात इनके आश्रितों को राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात पारिवारिक पेंशन देय हैं। वर्तमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र)

पेंशन एवं चिकित्सा सहायता के रूप में रूपये 5000/– (रूपये पाच हजार मात्र) प्रति माह की दर से स्वीकृत किये जा रहे हैं। 01.01.2021 से 31.12.2021 तक 02 प्रकरण में पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किये गये हैं:–

लोक सूचना अधिकारी

लोक प्राधिकरण		निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर		
क्र. सं.	लोक सूचना अधिकारी	पद	कार्यालय का नाम	दूरभाष संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक	अति. निदेशक	क्षे. का. जयपुर	0141–2740694
2.	अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक	क्षे. का. अजमेर	0145–2621848
3.	अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक	क्षे. का. जोधपुर	0291–2556538
4.	अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक	क्षे. का. उदयपुर	0294–2491129
5.	अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक	क्षे. का. बीकानेर	0151–2226621
6.	अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक	क्षे. का. कोटा	0744–2982633
7.	अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक	क्षे. का. भरतपुर	05644–220631

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उक्त लोक सूचना अधिकारियों हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर है ।

पेंशन विभाग में सूचना के अधिकार के कार्य सम्पादन हेतु नोडल अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किये गये है :–

नोडल अधिकारी

क्र.सं.	नोडल अधिकारी	पद	दूरभाष संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय)	अतिरिक्त निदेशक	0141–2740251

गत छः कैलेण्डर वर्षो में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्राप्त आवेदन
2015	648
2016	581
2017	584
2018	638
2019	909
2020	575
(जनवरी,2021 से दिसम्बर,2021) 2021	700
प्राप्त 700 आवेदन पत्रों मे से 50 आवेदन पत्र लंबित है ।	

कैलेण्डर वर्ष 2021 (01.01.2021 से 31.12.2021 तक) में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 68 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई,जिनमें से 65 अपीलों का निस्तारण किया जा चुका है । 03 अपीले प्रकियाधीन है ।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011

पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर की सेवा कमांक 60 एवं 61 के लिए संबंधित सहायक निदेशकों को पदाभिहित अधिकारी, संबंधित लेखाधिकारियों को सहायक पदाभिहित अधिकारी मनोनीत किया गया है । सेवा कमांक 64 (3) ''पेंशन के जीवनकालीन बकाया के भुगतान हेतु'' संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त निदेशकों (वर्तमान में अतिरिक्त निदेशकों) को पदाभिहित अधिकारी व सहायक निदेशकों को सहायक पदाभिहित अधिकारी मनोनीत किया गया है ।

निदेशक, पेंशन प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सचिव, प्रशासनिक विभाग (वित्त विभाग) द्वितीय अपील प्राधिकारी है ।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम,2011 के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष, 2021 (01.01.2021 से 31.12. 2021 तक) में एक अपील प्राप्त हुई है ।

14. राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना

आरजीएचएस स्कीम लागू होने से पूर्व तक आरपीएमएफ योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत राजकीय/अनुमोदित/विनिर्दिष्ट/पी.पी.पी, संचालित चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की गई। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2014 के द्वारा राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2014 लागू की गयी हैं, जिसमें राज्य कर्मचारियों के समान राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 के नियम 6, 7, 8, 9(1) 10, 11, 14, 17 व 19 के अनुसार सरकारी/अनुमोदित/विनिर्दिष्ट/पी.पी.पी. आधारित चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधायें प्रदान की गई। योजना के अनुसार पेंशनर्स को निम्नलिखित चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा रही थी।

1. राज्य के पेंशनर 20000/– रूपये की प्रारम्भिक सीमा तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निःशुल्क दवाईयां प्राप्त कर सकते थे।
2. उक्त सीमा के पश्चात् जिला कलेक्टर अपने स्तर पर चिकित्सक की सिफारिश एवं जिला समिति के अनुमोदन पर इस सीमा को कैंसर एवं किडनी के मामलों में रू. 2,00,000/– (रूपये दो लाख) तक एवं अन्य मामलों में रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक की वृद्धि कर सकते थे।
3. उपरोक्त सीमाओं के पश्चात् भी आवश्यकता होने पर जिला समिति एवं चिकित्सक की सिफारिश पर वित्तीय सीमा में सदस्य सचिव न्यासी बोर्ड व निदेशक पेंशन द्वारा वृद्धि की जा सकती थी।
4. शारीरिक विकलांगता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ पेंशनर्स के बच्चों को भी योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित किया जाता था।
5. पेंशनर्स एलोपैथिक, आयुर्वेदिक/युनानी व होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं, बशर्ते एक समय में एक ही तरह का इलाज हो।
6. पेंशनर्स को राज्य में राजकीय/अनुमोदित/विनिर्दिष्ट/पी.पी.पी. आधारित अस्पतालों में बाईपास सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी, पेसमेकर, एन्जियोंप्लास्टी–बेलूनप्लास्टी व स्टेन्ट प्रत्यारोपण एवं अन्य बीमारियों के उपचार पर राजस्थान सिविल सेवायें (चिकित्स परिचर्या) नियम, 2013 एवं राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2014 के प्रावधानुसार पुनर्भरण किया जाता है। पेंशनर्स को श्रवण यंत्र के पुनर्भरण की सुविधा भी प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने

अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज कराने पर सी.जी.एच.एस. जयपुर द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के ईलाज/जांच एवं इम्प्लांट्स आदि के लिये संशोधित दरों पर पेंशनर्स को ईलाज की सुविधा भी प्रदान की गई।

7. पेंशनर व उसके पति/पत्नी को घुटना–प्रत्यारोपण, हिप प्रत्यारोपण पर भी निम्न प्रकार आर्थिक सहायता दी जाती थी।

(क) घुटना प्रत्यारोपण पर दिनांक 15.12.2014 से संशोधित दर रूपये 1,10,000/– प्रति घुटना की गई थी।

(ख) हिप प्रत्यारोपण पर दिनांक 13.10.2014 से संशोधित दर रूपये 40,000/– की गई थी।

8. राजस्थान सिविल सेवायें (चिकित्सा परिचर्या)नियम 2013 के नियम 11 के अनुसार गम्भीर आपातकालीन परिस्थिति तथा जीवन के लिये घातक बीमारियों एवं दुर्घटना की स्थिति में राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित निजी अमान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तरंग उपचार कराये जाने पर नियमानुसार पुनर्भरण देय था। गम्भीर आपातकालीन स्थित संस्थित (Eslatishe) करने हेतु पेंशनर का शपथ पत्र एवं उपचारकर्ता चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता था।

9. वित्त विभाग द्वारा आर.पी.एम.एफ. योजना में राज्य में 121 निजी अस्पतालों को पेंशनर्स की चिकित्सा सुविधा हेतु अनुमोदित अस्पताल एवं राज्य के बाहर 15 अस्पतालों को रेफरल अस्पताल घोषित किया हुआ था।

10. पेंशनर और उसके परिवार के सदस्य को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर विशेष प्रकार के रोग जिसका उपचार राज्य में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर सहित किसी भी राजकीय/अनुमोदित/विनिर्दिष्ट/पी.पी.पी. आधारित चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं था उसका उपचार राज्य के बाहर के किसी विनिर्दिष्ट चिकित्सालय में कराये जाने पर नियमानुसार वित्तीय सहायता देय थी।

11. यदि कोई पेंशनर रैफर करवाये बिना राज्य के बाहर रैफरल चिकित्सालय में अन्तरंग रोगी (indoor patient) के रूप में उपचार करवाता था तो उपगत चिकित्सा व्यय की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया था।

12. पेंशनर व उसके पति/पत्नी को राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध है। अस्पतालों में चिकित्सकीय परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एन.ए.सी. जारी किया जाता था जिसके आधार पर पेंशनर बाहर से टेस्ट करा कर नियमानुसार पुनर्भरण प्राप्त कर सकते थे।

13. पेंशनर्स को सहकारी दवा की दुकानों/मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र पर दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। पेंशनर्स को सहकारी दवा की दुकानों/मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र पर दवा उपलब्ध न होने की स्थिति में एन.ए.सी. के आधार पर दवा क्रय करने की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसका नियमानुसार पुनर्भरण कर दिया जाता था।

14. राजकीय अस्पतालों में पेंशनर्स द्वारा अन्तरंग रोगी के रूप में चिकित्सा लेने पर उनकी मेडिकल डायरी में मोद्रिक सीमा उपलब्ध न होने के उपरान्त भी चिकित्सक द्वारा डायरी में लिखी गई दवाईयां अधिकृत दुकानों से पेंशनर्स को दी जाती थी।

15. राज्य के पेंशनर्स को जो अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें योजना के अधीन उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का उपभोग नहीं करने पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर रूपये 300/– (तीन सौ रूपये) प्रतिमाह स्थाई चिकित्सा भत्ता देय था।

16. राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त कर रहे राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को राज्य के बाहर सरकारी/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में अंतरंग रोगी के रूप में उपचार कराने पर नियमानुसार पुनर्भरण किया जा रहा था।

17. राज्य के पेंशनर्स जो राज्य के ही दूर–दराज के गाँवों में रहते हैं तथा वहां से 10 कि.मी. तक कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसे पेंशनर्स को बहिरंग चिकित्सा सुविधा के स्थान पर 300/– रूपये प्रतिमाह स्थाई चिकित्सा भत्ता देय था। यदि पेंशनर अन्तरंग रोगी के रूप में राज्य में आपातकालीन परिस्थिति में राजकीय/अनुमोदित/ विनिर्दिष्ट/पी.पी.पी. एवं निजी चिकित्सालय में उपचार करवाता था तो उसे नियमानुसार पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

18. (क) राज्य में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों से राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना में उनके वेतन के आधार पर 265/– रूपये प्रतिमाह से लेकर 875/– रूपये प्रतिमाह तक का अंशदान लिया जाता था। (दिनांक 06.05.2020 से प्रभावी)

(ख) नयी कम्प्यूटरीकृत मेडिकल डायरी बिना कोई कीमत व नवीनीकरण शुल्क लिये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी।

19. गत पांच वर्षो में राज्य कर्मचारियों से निम्नानुसार अंशदान प्राप्त हुआ है एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है तथा राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु आर.पी.एम.एफ को निम्ननुसार अनुदान ऋण दिया गया है :–

वर्ष	राज्य कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान	पेंशनर्स पर कुल चिकित्सा व्यय	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान /ऋण रू. लाख में।
2015–16	22880.50	26033.68	0.00
2016–17	24320.13	28242.54	4500.00 (ऋण)
2017–18	25592.26	31187.46	8000.00 (ऋण)
2018–19	26698.01	34790.11	5000.00 (ऋण)
2019–20	27868.09	41548.26	13000.00(ऋण)
2020–21	28373.73	42428.07	15000.00(ऋण)
2021–22 (अक्टूबर 2021)	9251.53	21206.26	10000.00(ऋण)

दिनांक 01.07.2021 से आरजीएचएस लागू होने के बाद पेंशनर्स आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।

दिनांक 31.12.2021 को पेंशन विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण
शीर्ष बजट मद 2054–00–800–02–00

क्र. सं.	पदनाम	जयपुर मुख्यालय	क्षे.का.जोधपुर	क्षे.का. उदयपुर	क्षे.का. कोटा	क्षे.का. बीकानेर	क्षे.का. अजमेर	क्षे.का. भरतपुर	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	निदेशक	1	–	–	–	–	–	–	1	–
2.	अतिरिक्त निदेशक	2	1	1	1	1	1	1	8	01
3.	अतिरिक्त निदेशक एवं एक्सऑफिसियों, अतिरिक्त सचिव (RGHS)	1	–	–	–	–	–	–	1	–
4.	संयुक्त निदेशक	2	–	–	–	–	–	–	2	01
5.	उप विधि परामर्शी	2	–	–	–	–	–	–	02	01
6.	उप निदेशक	6	1	1	1	1	1	1	12	05
7.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	–	–	–	–	–	–	1	–
8.	प्रोग्रामर	1	–	–	–	–	–	–	01	–
9.	निजी सचिव	1	–	–	–	–	–	–	1	–
10.	सहायक निदेशक	5	3	2	2	2	2	–	16	08
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	9	1	1	1	3	2	2	19	01
12.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	–	–	–	–	–	02	01
13.	अतिरिक्त निजी सचिव	2	–	–	–	–	–	–	02	–
14.	प्रशासनिक अधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	1	01
15.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	6	–	–	–	–	–	–	6	01
16.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	8	–	–	–	–	–	–	8	01
17.	निजी सहायक	3	–	1	–	–	–	–	4	01
18.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	16	–	–	–	–	–	–	16	03
19.	कनिष्ठ लेखाकार	32	11	8	10	9	8	6	84	14
20.	शीघ्र लिपिक	–	1	–	1	1	1	1	5	05
21.	सहायक प्रोग्रामर	1	–	–	–	–	–	–	1	–
22.	वरिष्ठ सहायक	20	4	2	2	1	3	–	32	08
23.	सूचना सहायक	2	1	1	1	1	1	1	8	–
24.	कनिष्ठ सहायक	25	4	4	3	4	3	4	47	04
25.	वाहन चालक	1	–	–	–	–	–	–	1	–
26.	जमादार	1	–	–	–	–	–	–	1	01
27.	दफ्तरी	1	–	–	–	–	–	–	1	01
28.	रेकार्ड लिफ्टर	2	–	–	–	–	–	–	2	02
29.	सहायक कर्मचारी	17	4	4	5	4	4	4	42	19
	कुल योग	**170**	**32**	**25**	**27**	**27**	**26**	**20**	**327**	**79**

15. <u>उपसंहार</u>

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए यह विभाग पूर्ण जागरूक एवं कृतसंकल्प है। इस विभाग द्वारा सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण तत्परता से किया जाता हैं।